



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36321

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-बी संख्या 587/2026

राम जी पाल और 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : अशोक कुमार सिंह बैस

प्रतिवादी(कों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री राम लखन कश्यप, श्री शिवांशु कश्यप और श्री आतिफ अहमद, विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दायर वकालतनामा को अभिलेख पर ले लिया गया है।

2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के.एस. बैस, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री राम लखन कश्यप, श्री शिवांशु कश्यप और श्री आतिफ अहमद तथा राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आर.सी. श्रीवास्तव की दलीलें सुनीं।

3. यह याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"1. प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या 5106/2024, महादेव (मृतक) और अन्य बनाम मोहम्मद ज़की और अन्य की कार्यवाही को, जो उसके समक्ष लंबित है, इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित और उपयुक्त समझे जाने वाली किसी विशिष्ट अवधि के भीतर शीघ्रता से निपटाए और निर्णय करे, ताकि न्याय हो सके।"

2. उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद स्थित माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 को प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य रोकने का निर्देश देने वाला आदेश जारी किया जाए, ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के तहत कार्यवाही से संबंधित है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि इस मामले के शीघ्र निपटारे के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं। पुनर्विचार याचिका लंबित रहने तक और पुनर्विचार याचिका के निपटारे तक प्रतिवादी संख्या 3 को विवादित भूखंड पर निर्माण करने से रोका जाए।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राम लखन कश्यप ने प्रस्तुत किया कि आयुक्त न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश अधिवास एवं श्रम अधिकार अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत दायर मुकदमे का निर्णय निचली अदालत द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जा चुका है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील आयुक्त न्यायालय के समक्ष लंबित है, अतः याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोधित निषेधाज्ञा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि याचिकाकर्ता लंबित अपील में यदि कोई राहत उपलब्ध हो तो उसके लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि निचली अदालत द्वारा मुकदमे का गुण-दोष के आधार पर निर्णय किए जाने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका निष्प्रभावी हो गई है।

6. जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण याचिका निष्फल नहीं हुई है, बल्कि इस पर योग्यता के आधार पर निर्णय की आवश्यकता है, अतः याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/ राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त पुनरीक्षण पर पुनरीक्षण में निर्धारित अगली तिथि यानी 24.2.2026 तक या इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से एक महीने के भीतर कानून के अनुसार निर्णय ले।

फरवरी 18, 2026

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”